कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
पांचवी मंजिल,सतपुडा भवन,भोपाल

क्रमांक / 1019 / 70 / आउशि / योजना / 2016 भोपाल,दिनांक 24 / 8 / 2016

प्रति,

1. संचालक,
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
बाणगंगा भोपाल
2. समस्त अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
3. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश
4. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः—अनुसूचित जाति / अनुसुचित जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष,2016—17 के लिये निःशुल्क पुस्तकों का प्रदाय करने बाबत ।

संदर्भः—गठित समिति की बैठक दिनांक 01.08.2016 में लिये गये निर्णय ।

— — —

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष, 2016—17 में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाने वाली अनिवार्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तकों एवं इस हेतु शासन द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

1. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी जिन पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करती है, उन पुस्तकों के क्रय हेतु जिले के अग्रणी महाविद्यालय द्वारा बुलाई गई निविदाओं के आधार पर जिले के अन्य महाविद्यालय,प्रकाशकों से भण्डार क्रय नियमानुसार निविदायें आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें ।
2. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा समान एवं भिन्न (ऑड एण्ड इविन) दोनों ही समेस्टर की पुस्तकें (अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों हेतु) एक साथ महाविद्यालय को प्रदाय की जावेगी ।
3. प्राचार्य द्वारा प्रदत्त विद्यार्थी संख्या के आधार पर अकादमी द्वारा प्रकाशित निर्धारित पाठयक्रमानुसार एवं अन्य अनिवार्य पुस्तकें सीधे महाविद्यालय को उपलब्ध करायी जाये । पुस्तकों को प्रदाय हेतु पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

4. प्राचार्यगण दिनांक 31 अगस्त 2016 तक विषयवार, कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या अकादमी को प्रेषित करेगें। अकादमी महाविद्यालय द्वारा प्राप्त कयादेश की प्राप्ति से एक माह के भीतर पुस्तकों का प्रदाय सुनिश्चित करेगी ।

5. अनिवार्य पुस्तकों की सूची कमांक–01 कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न है । अकादमी द्वारा प्रकाशित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रम आधारित पुस्तकों की संलग्न सूची कमांक–02 (प्रोफार्मा) में जिन पुस्तकों का उल्लेख नहीं किया गया है उन पुस्तकों को महाविद्यालय अपने स्तर पर नियमानुसार क्रय कर सकेगें ।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

संलग्नः–अनुशंसित पुस्तकों की सूची ।

24.8.16

(डॉ0अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0कमांक/1020/70/आउशि/योजना/16 भोपाल,दिनांक 24/08/2016

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (मंत्रालय) भोपाल ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन पांचवी मंजिल, भोपाल ।
3. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा संचालनरालय, भोपाल
   –की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
4. वि.क.अधि.प्रभारी (आई.टी.सेल.) उच्च शिक्षा तृतीय तल सतपुडा भवन भोपाल –की ओर भेजकर लेख है कि बेबसाइट पर अपलोड करें ।

24.8.16

(डॉ0अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक– 1501 /396/आउशि/बजट/2016 भोपाल, दिनांक 27-8-2016

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय– अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी प्रदाय योजना अन्तर्गत बजट आंबटन संबंधी 2016–17

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्र कमांक 1019/70/आउशि/योजना/2016, दिनांक 24.08.2016

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 24.08.2016 द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष 2016–17 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदाय की जाने वाली अनिवार्य एवं पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्रदाय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

(2) अतः महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार निर्देशों एवं प्रकिया का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जावे।

(3) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 1751/825/2012/38–2, दिनांक 05.11.2012 के अनुसार विद्यार्थियों को रूपये 1500/– की पुस्तकें एवं रूपये 500/– की स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय की जाना है।

(4) उपरोक्तानुसार पुस्तकों के अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली स्टेशनरी का कय महाविद्यालय स्तर पर नवीन म.प्र. भण्डार कय नियमों का पालन करते हुए किया जावे तथा प्रति विद्यार्थी किट बनाकर प्रदाय की जावे। प्रदाय की जाने वाली स्टेशनरी सामग्री का एक सेट नमूना के रूप में पुस्तकालय में संधारित रखें तथा उस सेट पर प्रदायकर्ता फर्म/शासकीय उपकम के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान संधारित सामग्री के सेट का अवलोकन अधिकारियों को कराया जावे।

(5) यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली स्टेशनरी स्टेण्डर्ड हो तथा सामग्री पर दर अंकित होना चाहिए। कय की जाने वाली पुस्तकें एवं स्टेशनरी की गुणवत्ता तथा उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए प्रमाणीकरण अंकित किया जावे।

(6) योजना अन्तर्गत कोई भी पात्र विद्यार्थी लाभांवित होने से वंचित नहीं रहे। यदि विद्यार्थी लाभांवित होने से वंचित रहते हैं तो यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

Bud 16-17.doc

(7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी प्रदाय करने संबंधी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में ग्लोबल बजट व्यवस्था अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में राशि उपलब्ध है :–

क्र.	बजट शीर्ष	योजना का नाम
1	41–2202–03–103–9805–0102–51–000	आदिवासी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी का प्रदाय
2	64–2202–03–103–4699–0103–51–000	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें–स्टेशनरी का प्रदाय

(8) ग्लोबल बजट व्यवस्था अन्तर्गत द्वितीय त्रैमास में दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक राशि आहरण/भुगतान किया जा सकेगा। इसके पश्चात् राशि कोषालय सर्वर से स्वयं लैप्स हो जावेगी। तृतीय त्रैमास अन्तर्गत राशि का आहरण 01.10.2016 से 31.12.2016 तक किया जा सकेगा। इसके पश्चात् राशि कोषालय सर्वर से स्वयं समाप्त हो जावेगी। अतः कृपया तत्काल नियमानुसार राशि का आहरण/भुगतान सुनिश्चित करें।

(9) यदि गतवर्ष के लंबित देयकों का भुगतान किया जाना हो तो गतवर्ष भुगतान न होने के संबंध में पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए प्रकरण भेजकर इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त होने पर लंबित देयकों का भुगतान किया जावे।

(10) क्रय की जाने वाली पुस्तकें एवं स्टेशनरी का नियमानुसार अभिलेख संधारित किया जावे जथा प्रत्येक छात्र को प्रदाय की जाने वाली पुस्तकें एवं स्टेशनरी की पावती रजिस्टर में सुरक्षित संधारित की जावे। किसी भी प्रकार के अनियमितता की जिम्मेदारी स्वयं संबंधित प्राचार्य की होगी।

(11) कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 27-8-2016

पृष्ठा.क्र. 1562/396/बजट/16,
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.सेल, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
5. संचालक,मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, बाणगंगा भोपाल
6. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाऐं सतपुड़ा भवन भोपाल
7. समस्त संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

............की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

Bud 16-17.doc

1257
733 (M)

दूरभाष : (0755) 2553084, 2762123
तार : अकादमी

देयक

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल-562003

266 26549

क्र. .... क्रमांक C/

प्रति,

प्राचार्य/निदेशक/ आदरणीय
शास. [illegible] सुन्दरलाल [illegible]
[illegible] महाविद्यालय, दिनांक 28/10/16
नरसिंहपुर (म.प्र.)

आपके आदेश क्रमांक [illegible] दिनांक 26/9/16

की पुस्तकें रेल/ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज दी गई हैं। बिल्टी ....

वी.पी.पी. द्वारा भेज दी गई हैं।

क्र.	पुस्तक का नाम	संख्या	दर रु.	कुल मूल्य रु.
1	हिन्दी कथा साहित्य - II	35	50=00	1750=00
2	नैतिक मूल्य और भाषा - IV	25	42=00	1050=00
3	[illegible] - III	22	40=00	880=00
4	हिन्दी भाषा साहित्य का इतिहास - IV	22	40=00	880=00
5	नैतिक मूल्य और भाषा - V	15	35=00	525=00
6	प्रयोजनमूलक हिन्दी - V	40	40=00	1600=00
				6685=00
7	राजनीति के सिद्धांत - I — 49 × 110 = 5390=00			20% 1337=00
8	भारतीय शासन एवं राजनीति - II - 49 × 85 = 4165=00			5348=00
9	[illegible] - IV - 03 × 140 = 420=00			(+)
10	[illegible] - V - 29 × 120 = 3480=00			
11	लोक प्रशासन - 6 — 25 × 140 = 3500=00			
12	[illegible] - 08 × 220 = 1760=00			
13	[illegible] - 08 × 120 = 960=00			
14	समाजशास्त्र [illegible] - 3 - 09 × 75 = 675=00			

C.F. 20350=00 योग

अन्तिम देय रुपये (शब्दों में) ....

कमीशन (-)

(अंकों में) ....

अन्तिम देय

निरीक्षक

विक्रेयकर्ता

(M)

दूरभाष : (0755) 2553084, 2762123
तार : अकादमी

देयक

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल-562003

266

26550 26549

क्र. ....

क्रमांक C/

II

प्राचार्य/निदेशक ....

दिनांक 2[illegible]/10/16

आपके आदेश क्रमांक .... दिनांक ....

की पुस्तकें रेल/ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज दी गई हैं। बिल्टी ....

वी.पी.पी. द्वारा भेज दी गई हैं।

क्र.	पुस्तक का नाम	संख्या	दर रु.	कुल मूल्य रु.
	B/F	—	—	20350=00
15	[illegible] भाग-3	09	90=00	810=00
16	[illegible] भाग-4	09	100=00	900=00
17	[illegible]	09	80=00	720=00
18	[illegible]	83	100=00	8300=00
19	[illegible]	50	120=00	6000=00
20	[illegible]	50	80=00	4000=00
21	[illegible]	33	160=00	5280=00
22	[illegible]	37	200=00	7400=00
23	[illegible]	37	60=00	2220=00
24	[illegible] -33×50=1650=00			55980=00
			40%	22392=00
	(+) 1650=00			33588=00
			(+)	1650=00
			(+)	5348=00

अन्तिम देय रुपये (शब्दों में) चालीस हजार पाँच सौ छियासी | योग 40586=00

कमीशन (-)

(अंकों में) रु- 40586=00

अन्तिम देय 40586=00

निरीक्षक

विक्रयकर्ता

(M)

देयक

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल-562003

दूरभाष : (0755) 2553084, 2762123
तार : अकादमी

266 26551

क्र. .... क्रमांक C/

प्राचार्य/निदेशक / शासकीय [illegible] महाविद्यालय नारायणगढ़, [illegible] नरसिंहपुर [illegible] दिनांक 28/10/16

आपके आदेश क्रमांक 840 दिनांक 26/12/16

की पुस्तकें रेल/ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज दी गई हैं। बिल्टी .... (275) ST

वी.पी.पी. द्वारा भेज दी गई हैं।

क्र.	पुस्तक का नाम	संख्या	दर रु.	कुल मूल्य रु.
1	हिन्दी भाषा साहित्य - II	20	50=00	1000=00
✓2	नैतिक मूल्य और भाषा - IV	20	42=00	840=00
✓3	अर्वाचीन हिन्दी काव्य - III	15	40=00	600=00
✓4	हिन्दी भाषा साहित्य का इतिहास - IV	15	40=00	600=00
✓5	नैतिक मूल्य और भाषा - V	10	35=00	350=00
✓6	प्रयोजनमूलक हिन्दी - V	10	40=00	400=00
				3790=00
✓7	राजनीति के सिद्धांत - I - 18 × 110 = 1980=00			758=00
✓8	भारतीय शासन एवं राजनीति - II - 18 × 85 = 1530=00			(+) 3032=00
✓9	[illegible] - IV - 02 × 140 = 280=00			
✓10	[illegible] - V - 03 × 120 = 360=00			
11	[illegible] - 6 — 10 × 140 = 1400=00			
✓12	[illegible] 38 × 100 = 3800=00			
✓13	हिन्दी व्याकरण [illegible] - II - IV 21 × 120 = 2520=00			
✓14	[illegible] - I - II — 21 × 80 = 1680=00			

अन्तिम देय रुपये (शब्दों में) .... (F→ 13550=00 योग

.... कमीशन (-)

(अंकों में) .... अन्तिम देय

निरीक्षक विक्रयकर्ता

57
3 (M)

<u>देयक</u>

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल-562003

दूरभाष : (0755) 2553084, 2762123
तार : अकादमी

266

क्रमांक C/ 26552 26551

क्र. ....

II

प्राचार्य/निदेशक ....

दिनांक 28/10/16

....

....

आपके आदेश क्रमांक .... दिनांक ....

की पुस्तकें रेल/ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज दी गई हैं। बिल्टी ....

वी.पी.पी. द्वारा भेज दी गई हैं।

क्र.	पुस्तक का नाम	संख्या	दर रु.	कुल मूल्य रु.
	BF	—	—	13550=00
✓5	डॉ. अम्बेडकर [illegible] दर्शन	17	160=00	2720=00
✓6	[illegible]	10	60=00	600=00
✓7	भारत की संत परंपरा - ४ - ८	10	200=00	2000=00
				18870=00
✓8	स्वामी विवेकानंद - III - IV - 17×55=	935=00	40%	7548=00
		⊕ 935=00		11322=00
				⊕ 935=00
				⊕ 3032=00
				15289=00

अन्तिम देय रुपये (शब्दों में) पन्द्रह हजार दो सौ नवासी मात्र

योग 15289=00

कमीशन (-)

(अंकों में) Rs- 15,289=00

अन्तिम देय 15289=00

निरीक्षक

विक्रयकर्ता